

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB ROHTAK Year (वर्ष): 2018
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0008 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 09/07/2018 17:05 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	420
2	IPC 1860	467
3	IPC 1860	468
4	IPC 1860	471

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
- 1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 09/07/2018 Time (समय): 16:10 hrs
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 009 Date and Time (दिनांक और समय): 09/07/2018 16:24 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): सांघी, रोहतक,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): Narinder Singh
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 20/07/1965 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	HNo 453-A Dev Colony Rohtak, ROHTAK CITY, ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	HNo 453-A Dev Colony Rohtak, ROHTAK CITY, ROHTAK, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9050008241

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	उमेश पहल			1. वरिष्ठ प्राध्यापक मैकनिकल,जी0पी0एस0 साँधी,रोहतक,ROHTAK SADAR,ROHTAK,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, रोहतक मण्डल, रोहतक। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 17 दिनांक 05.11.2015 पंचकुला हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 56/11/15-1 चौकसी-टा दिनांक 29.10.15 की अनुपालना में श्री महेन्द्र सिंह दहिया मकान नं0 1865 सैक्टर 9 ए बहादुरगढ की शिकायत पर दर्ज रजिस्टर की गई थी। जिसमें प्रदीप कुमार दहिया, वरिष्ठ प्राध्यापक, इलैक्ट्रॉनिक्स व उमेश पहल वरिष्ठ प्राध्यापक, मैकनिकल, जी0पी0एस0 सांघी, रोहतक तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा गलत अनुभव प्रमाण पत्र जमा करवाकर विभाग में वरिष्ठ प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का आरोप था। श्री औमप्रकाश उप पुलिस अधीक्षक, रा0चौ0ब्यूरो पंचकुला द्वारा आरोपों की पडताल की गई थी। जो पडताल के दौरान पाया गया कि दिनांक 25.04.2011 को संस्थान की वितायुक्त तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में हुई चतुर्थ गोष्ठी में उपरोक्त प्राध्यापकों की पदोन्नती का मामला श्री धर्मबीर सिंह सांगवान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उमेश पहल वरिष्ठ प्राध्यापक द्वारा पदोन्नति के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये अनुभव प्रमाण पत्रों में इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिक संस्थान जीन्द का अनुभव दिनांक 01.08.2002 से 31.12.2004 के बारे में जीन्द इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिक संस्थान जीन्द के पत्र दिनांक 7.05.2018 के अनुसार करीब 1 वर्ष 9 महीने कुछ दिन कार्य बाबा मस्तनाथ कालेज, अस्थल बोहर रोहतक में दिनांक 14.01.2005 से 13.08.2008 तक कुल 3 वर्ष 7 माह तथा सी0एम0आर0एम0 बहुतकनीकी सांघी में दिनांक 09.09.2008 से 15.04.2011 तक करीब 2 वर्ष 7 माह कार्य किया जाना पाया गया है। जो उमेश पहल का कुल 7 वर्ष 11 माह कुछ दिन का अनुभव बनता है। जो वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत होने के लिये 8 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इस प्रकार श्री उमेश पहल द्वारा स्वयं अपने स्तर पर कमेटी गठीत करके रिपोर्ट तैयार करवाकर स्वयं ही रिपोर्ट निर्देशक तकनीकी शिक्षा विभाग को भेज दी इसके अतिरिक्त जीन्द इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिक संस्थान जीन्द के नाम का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 01.08.2002 से 31.12.2004 तक तैयार किया गया। जबकि जीन्द इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिक संस्थान के पत्र दिनांक 07.05.2018 के अनुसार दिनांक 26.08.2002 से जून 2004 तक प्रतिवादी उमेश पहल का कुल 1 वर्ष 9 माह कुछ दिन का अनुभव प्रमाण बनता है क्योंकि सस्था द्वारा किये गये फार्म सं0 16 वर्ष 2004-05 के अनुसार उमेश पहल को 17,956 रुपये वेतन दिया गया है। इस संस्था द्वारा उमेश पहल को 8,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता था। उमेश पहल का कुल अनुभव 7 वर्ष 11 माह कुछ दिन का बनता है। जबकि सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार पदोन्नति के लिये 8 वर्ष का अनुभव जरूरी था। जबकि प्रतिवादी उमेश पहल की दिनांक 30.09.2011 को पदोन्नति हुई थी। उस समय 8 वर्ष 4 माह 15 दिन का अनुभव पूर्ण हुआ था। इस प्रकार उमेश पहल द्वारा जीन्द इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिक संस्थान में किये गये कार्य का दिनांक 01.08.2002 से 31.12.2004 तक की अवधि का फर्जी अनुभव रिकार्ड तैयार करके अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शा दिया। इस अधिकारी द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र द्वारा पदोन्नति व अन्य लाभ प्राप्त करके जुर्म जेर धारा 420,467,468,471 भा0द0स0 का किया जाना पाया गया है। अतः उमेश कुमार पहल, वरिष्ठ प्राध्यापक मैकनिकल जी0पी0ई0एस0 सांघी रोहतक के विरुद्ध जेर धारा 420,467,468,471 भा0द0स0 के तहत मुकदमा दर्ज किये जाने तथा तफतीश के दौरान किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी की मिलीभगत पाई जाये तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिये जाने का सुझाव देते हुये मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादी क्र0 56/11/ 2015-1 चौ-1 दिनांक 18.06.18 व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0) पंचकुला के पृष्ठांकन क्र0 8565/आई-6/ रा0चौ0 ब्यूरो दिनांक 25.06.18 अनुसार मुकदमा दर्ज किये जाने के आदेश प्राप्त होने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा मय अंतिम रिपोर्ट व मूल शिकायत फाईल, कथन फाईल, पुलिस फाईल व प्रलेख फाईल कुल 5 फाईले आपके पास भिजवाई जा रही है।(नरेन्द्र सिंह) उ0पु0अ0, रा0चौ0ब्यू0 रोहतक। अज थाना:- हस्ब आमद तहरीर एक पत्र क्रमांक 9117/आई-6/रा0चौ0ब्यूरो दिनांक 06.07.2018 कार्यालय महानिदेशक रा0चौ0ब्यूरो पंचकुला व इस कार्यालय के डायरी नं0 1504 दिनांक 09/07/2018 के अनुसार थाना मे प्राप्त होने पर मु0 न0 08 दिनांक 09.07.2018 धारा 420,467,468,471 IPC थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर अफसरान बाला को बजरीया मेल द्वारा सूचना दी गई। नकल मिशाल पुलिस मय असल तहरीर मय अंतिम रिपोर्ट व मूल शिकायत फाईल, कथन फाईल, पुलिस फाईल व प्रलेख फाईल कुल 5 फाईले SP साहब द्वारा नियुक्त I/O उप पुलिस अधीक्षक बिजेन्द्र सिंह राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक के हवाले किया गया उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से उप निरीक्षक रणबीर सिंह 51/गुरुग्राम की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Bijender Singh Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)
- No. (सं.): 23RR to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
- on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Pushpa Khatri

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1970				
						Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

